न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 375/2016

दायर दिनांक– 19.7.2016

फैसल दिनांक –17.1.2018

1– श्रीमती नन्दादेवी पुत्री श्री धुलजी मेवाडा पत्नि श्री धनेश्वर मेवाडा जाति सुथार नि0ओबरी

(वादीया)

बनाम

1– श्री गौरीशंकर पिता चुन्नीलालजी सुथार

2– श्री प्रवीणकुमार पिता चुन्नीलालजी सुथार निवासी ओबरी

3– लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीया– श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादीगण– –

वाद बाबत घोषणा बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं इन्द्राज दरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89,53,188,सपठित धारा 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

वाद वादिया का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिया के पिता धुलजी एंव प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता चुन्नीलाल दोनो आपस में सगे भाई थे । वादीया के पिता एंव प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता उदवजी सुथार के नाम से मौजा ओबरी में बंदोवस्त संवत 2022 में कुल 12 खेत रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के थे ज़िसमें वादिया के पिता व उनके भाई चुन्नीलाल का 1/2 – 1/2 हिस्सा था । दोनो ने मिलकर एक खेत 2बीघा 5 बिस्वा का विकय कर दिया ,चुन्नीलाल के फौत होने के बाद खाते में शेष 11 खेत कुल रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा के चुन्नीलाल के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुआ व धुलजी का हिस्सा बदस्तुत कायम रहा । धुलजी की मृत्यु के बाद वादीया का नाम उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार के रूप में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम शेष 1/2 हिस्से के खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था लेकिन नामान्तरकरण संख्या 533 के जरिये सारी भूमि राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज करा ली जबकि पिता की पुत्री होने से वादिया का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। स्व0 चुन्नीलाल व धुलजी की भूमि का वर्तमान खाता संख्या 185/189 है, जो वादपत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित है । प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि उनके नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर इसमें से खसरा नम्बर 2368 की रकबा 15 बिस्वा भूमि गांव ओबरी के श्री महेन्द्रसिह पिता रामसिंहजी को विकय कर दी जबकि इसमें वादिया का 1/2 हिस्सा था ,प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

को बिना वादिया की सहमती के उक्त विकय का अधिकार नहीं था । वादिया खसरा नम्बर 2368 की 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण द्धारा विकय कर देने से इस खाते की शेष भूमि में से अपने 1/2 हिस्से के अलावा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ।

वादिया द्धारा वाद के अन्त में ओबरी के वर्तमान खाता संख्या 185/189 के 10 खेत रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसका विवरण वाद पत्र में अंकित है के 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के 1/2 हिस्से में से 15 बिस्वा भूमि यानि कि 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादीया को एवं शेष बची 5 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित कराने व वादीया के हिस्से की भूमि का खाता बंटवारा कर अलग कराने ,प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीया के हिस्से की व कब्जे काश्त की भूमि में कोई दखल नहीं करने बेदखल नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन किया गया है ।

वादीया द्धारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के साथ जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना दिनांक 24.10.2016 को अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।

वादी की ओर से साक्ष्य में वादिया स्वयं नन्दा देवी के बयान कलम बद्ध कराये एवं दस्तावेज प्रदर्श कराये । वादी की ओर से ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रदर्श –1 जमाबन्दी खाता संख्या 185/189 की ओर आकर्षित किया जिसमें कुल आराजीयात 10 रकबा 10बीघा 15 बिस्वा गौरीशंकर प्रवीणकुमार पिता चुन्नीलाल खातेदार दर्ज है। प्रदर्श' 8 जमाबन्दी खाता संख्या 115 में खातेदार के स्थान पर चुन्नीलाल ,धुलजी पिता उदवजी किता खेत 11 रकबा 11बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। वकील वादी ने बहस में बताया कि जमाबन्दी संवत 202 प्रदर्श–8 खातेदार उदवजी पिता कुरा सुथार के नाम खसरा किता 12 कुल रकबा 13बीघा 15 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी ।उदवजी फौत होने के बाद उक्त भूमि दोनो पूत्रों धुलजी एवं चुन्नीलाल के नाम दर्ज हुई जिन्होंने मिलकर एक खेत रकबा 2बीघा 5बिस्वा का विकय कर दिया । इसके बाद चुन्नीलाल फौत होने पर शेष आराजीयात 11 रकबा 10बीघा10 बिस्वा भूमि चुन्नीलाल के दोनो पूत्रों प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई एवं धुलजी का नाम दर्ज नहीं हुआ । जबकि धुलजी फौत हो जाने के बाद वारीस वादिया का इन आराजीयात में 1/2 हिस्सा है । इसके पश्चात भी प्रतिवादीगण 1 व 2 ने एक खेत खसरा संख्या 2368 रकबा 15बिस्वा का श्री महेन्द्रसिंह को विकय कर दिया । वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि चूँकि उक्त खाते की 1/2 हिस्से की भूमि की वादीया हकदार है अतः प्रतिवादीगण द्धारा विकय की गई भूमि 15 बिस्वा के बदले खाते की

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

शेष भूमि रकबा 10बीघा 15 बिस्वा मे से वादीया अपने 1/2 हिस्से के अलावा प्राप्त करने की अधिकारी है ।

वकील वादी ने मोजा ओबरी के वर्तमान खाता नम्बर 185/189 के 10 खेत रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो वाद पत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित है के 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के हिस्से में से 15बिस्वा भूमि यानि कि 5बीघा 15बिस्वा भूमि का वादीया को एवं शेष 5बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1व 2 को खातेदार घोषित कराने ,वादीया के हिससे की भूमि का प्रथक खाता कराने ,प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीया के हिस्से की व कब्जे की काश्त की भूमि में कोई दखल नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन करते हुए बहस समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया । हम वादी के इस तर्क से सहमत हैं कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीया के पिता धुलजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता चुन्नीलाल के पिता उदवजी के नाम दर्ज थी । उदवजी के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि उदवजी के दोनो पूत्रों धुलजी एवं चुन्नीलाल के नाम हुई लेकिन चुन्नीलाल फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि अकेले चुन्नीलाल के पूत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई जबकि इसमें वादीया का 1/2 हिस्सा भी निहित है । चुन्नीलाल एंव धुलजी द्धारा इस खाते की कुल भूमि 13बीघा 15 बिस्वा में से एक खेत रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का बेचान कर देने से शेष भूमि 11बीघा 10 बिस्वा रही लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने खाते में अपने अकेले के नाम होने से खेत आराजी संख्या 2368 रकबा 15 बिस्वा का अन्य को विकय कर दी इस कारण वादिया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि में से अपने 1/2 हिस्से के अलावा उनके द्धारा बेचान कर दी 15 बिस्वा भूमि अतिरिक्त दर्ज कराने का निवेदन किया है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया को मौजा ओबरी के खाता संख्या 185/189 किता खेत 10 रकबा 10बीघा 5 बिस्वा के 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/2 हिस्से में से 0.15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर दिनांक 11.7.2017 को प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उपरोक्तानुसार बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रैस के प्रस्तुत करने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया दिए गए ।

तहसीलदार सागवाडा द्धारा जरिये कमांक राजस्व/2018/21 दिनांक 12.1.2018 को निम्नानुसार बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रैस के प्रस्तुत की गई ।

क0सं0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	गौरीशंकर प्रवीणकुमार पिता चुन्नीलाल सुथार सा.देह खातेदार	1165/1	0.11	चा. I	2.20
		1188/1	0.12	चा. I	2.40
		1325/1	0.07	चा. I	1.40
		1337/1	0.07	चा. I	1.40

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

		2668/1	0.06	पालबन्दा	0.03
		2683/1	0.14	सी.।	10.75
		2684/1	0.02	सु.।।	0.15
		2691/1	0.02	रा.।	0.05
		2692/1	1.14	सी.।	4.26
		3235/1	0.05	सी.।	0.62
2	नन्दादेवी पुत्री धुलजी सुथार सा देह खातेदार	1165/2	0.12	चा.।	2.40
		1188/2	0.13	चा.।	2.60
		1325/2	0.08	चा.।	1.60
		1337/2	0.08	पडत0.04 चा. ।0.04	0.04 0.80
		2668/2	0.07	पालबन्दा	0.04
		2683/2	0.18	सी.।	2.25
		2684/2	0.03	सी.।	0.23
		2691/2	0.02	रा.।	0.05
		2692/2	1.19	सी.।	4.87
		3235/2	0.05	सी.।	0.63

बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई । वकील वादी ने बंटवारा रिपोर्ट से सहमत होकर प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया ।

अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर संलग्न बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ–अ)अनुसार पक्षकारान के मध्य भूमि का अमल दरामद कर खाता प्रथक दर्ज किए जाने आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीया के हिस्से की भूमि में कोई दखल नहीं करें न ही उसे बेदखल करें।

परिशिष्ठ –अ निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2018को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner